

सी०१२५ पत्रावली पेश हुई। वकील पदकारान रूप
अधिकता वादी द्वारा वाद को Not proved किया जाकर
वाद खारिज करने किया गया अतः प्रपत्र अस्मात्
गिषेदाज्ञा का आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं
होने के कारण प्रपत्र इसी तल पर खारिज
किया जाकर पत्रावली फौजदारी अदालत के नष्ट से
कम ले दाखिल रक्ता रहे।

उपरोक्त अधिकारी विदाव
जिला झुन्डुनू (राज)

Not Proved

गोशवर्धन
इसकर